संख्या-565/2018/2733/22-2-2017-17(651)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 03 अगस्त, 2018***

विषय:- जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष महिला बन्दी किशोरी देवी पत्नी श्री जयदेव निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35977/प्रोबेशन-7/सीमित सजा(एम-06.09.2016) दिनांक 04.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष महिला बन्दी किशोरी देवी पत्नी श्री जयदेव, जो- ग्राम-बरहा मोहब्बतपुर, थाना-तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर की रहने वाली है। दहेज में बिक्की मोटरसाईकिल टी0वी0 की मांग पूरी न होने के कारण महिला बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18.05.1996 को अपनी पुत्र बधू लक्ष्मी देवी की मार-पीट कर उसकी हत्या कर दी तथा चोरी से शव को जला दिया। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-89/97 में भा0द0वि0 की धारा- 498ए, 304बी, 201 व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0 सं0-5), शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 14.04.2010 द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 05 वर्ष 10 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 08 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल संतोषजनक है। महिला बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि महिला बन्दी द्वारा दहेज में बिक्की मोटरसाईकिल टी0वी0 की मांग पूरी न होने के कारण महिला बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18.05.1996 को अपनी पुत्र बधू लक्ष्मी देवी की मार-पीट कर उसकी हत्या कर दी तथा चोरी से शव को जला दिया। महिला बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बन्दी किशोरी देवी पत्नी श्री जयदेव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी किशोरी देवी (बन्दी संख्या-4095/16) पत्नी श्री जयदेव निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-565/2018/2733(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, शाहजहांपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-565/2018/2733/22-2-2017-17(651)/2017

दिनांक 03 अगस्त, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष महिला बन्दी किशोरी देवी पत्नी श्री जयदेव, जो- ग्राम-बरहा मोहब्बतपुर, थाना-तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर की रहने वाली है। दहेज में बिक्की मोटरसाईकिल टी0वी0 की मांग पूरी न होने के कारण महिला बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18.05.1996 को अपनी पुत्र बधू लक्ष्मी देवी की मार-पीट कर उसकी हत्या कर दी तथा चोरी से शव को जला दिया। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-89/97 में भा0द0वि0 की धारा- 498ए, 304बी, 201 व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0 सं0-5), शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 14.04.2010 द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 05 वर्ष 10 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 08 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल संतोषजनक है। महिला बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि महिला बन्दी द्वारा दहेज में बिक्की मोटरसाईकिल टी0वी0 की मांग पूरी न होने के कारण महिला बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18.05.1996 को अपनी पुत्र बधू लक्ष्मी देवी की मार-पीट कर उसकी हत्या कर दी तथा चोरी से शव को जला दिया। महिला बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बन्दी किशोरी देवी पत्नी श्री जयदेव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा महिला बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in